श्रीयुत हिमाचल कैमिकलज़ एवं सिलिकेट वर्कस, गांव व डाकघर बाथू तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा मौजा बाथू, तहसील हरोली जिला ऊना (हि.प्र.) में तदादी 27-47-00 हैक्टेयर में सिलिका पत्थर, रेत, पत्थर व बजरी के खनन/संग्रह के लिए सिलिका बालू/बजरी की प्रोसेसिंग एवं उत्पादन के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही का विवरणः

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को सायं: 03:00 बजे **गांव व डाकघर बाथू तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा मौजा बाथू, तहसील हरोली जिला ऊना (हि.प्र.) में रक्बा तदादी 27-47-00 हैक्टेयर में रेत, पत्थर व बजरी के खनन एवं संग्रह के** प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक-1 पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, खनन अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी व पंचायत उपप्रधान बाथड़ी व बाथू तथा साथ लगते गावों के निवासी उपस्थित थे। सर्व प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ऊना ने अध्यक्ष महोदय व जनता का अभिनन्दन किया व जन सुनवाई की कार्यवाही प्रक्रिया शुरु की । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस खनन क्षेत्र के सम्बंध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो निंसकोच पूछ सकते है। तत्पश्चात स्टोन क्रशर के परामर्शदाता श्री सुभाष कुमार मैंसर्ज़ ग्रास रूट रिसर्च एंड क्रियेशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई । इन जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी भी की गई। इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री मनोहर लाल पुत्र श्री प्रीतम चन्द, गांव व डाक. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	हमारा सुझाव है कि जल्द से जल्द स्वीकृति दी जाये ताकि हमारे विकास कार्य चल सकें।	
2.	श्री रजेश कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह गांव व डाक. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होने कहा हमें जल्दी से जल्दी स्वीकृति दी जाये ताकि हमें रोजगार मिल सके ।	
3.	श्री राज कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द गांव व	परियोजना में स्थानीय लोगों	परियोजना के प्रतिनिधि ने कहा कि स्थानीय लोगों

	डाक. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	को रोजगार दिया जाये ।	को रोजगार में प्राथमिकता दी जयेगी ।
4.	श्री राजकुमार पुत्र श्री रसील सिंह, गांव व डाक. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	गांव में जो भी सांझे कार्य होते हैं, उन्हें मुफ्त में रेत व बजरी दी जाये।	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सामूहिक कार्यों के लिए मुफ्त रेत व बजरी दी जायेगी।
5.	श्री मलकीयत सिंह पुत्र श्री साधु राम गांव व डाक. बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	खनन क्षेत्र में गाड़ियों में माल लाने में जो धूल उड़ेगी वहां पर पानी का सड़क पर छिड़काव करें ।	परियोजना के प्रतिनिधि ने कहा कि सड़क पर टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जायेगा ताकि धूल आदि न उड़े।
6.	श्री बलवीर सिंह उपप्रधान बाथड़ी पंचायत तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	ट्रकों में अधिक माल लोड करने से बजरी सड़कों पर गिरती है। सड़क पर दोपहिया वाहनों की दुर्घटना होने का डर रहता है। अतः गाड़ियों को ओवरलोड न किया ,जाये। साथ में उन्होने यह भी कहा कि स्वीकृति जल्दी से जल्दी दी जाये। जिससे विकास कार्य पूरे किये जा सकें।	परियोजना के प्रतिनिधि ने बताया कि गाड़ियां ओवरलोड नहीं की जायेंगी।

अन्त में वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ऊना ने सभी प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन का पर्यावरण सम्बन्धी जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया ।

(श्री राजेश मारिया)
Addl. Distt. Magistrate
अतिरिक्त, जिला दण्डाधिकारी
Una, Distt. Una (H.P.)
जिला ऊना (हि.प्र.)